



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12731

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 37304 वर्ष 2025

विजय

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : मयंक यादव

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री मयंक यादव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री जय किशन चौरसिया, राज्य के विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 212 of 2025, धाराएं 115(2), 103(1), 3(5) बी.एन.एस., थाना- खेकड़ा, जनपद- बागपत में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. अभियोजन कथा के अनुसार, आवेदक, जो कि आकाश, निधि और अंकिता का पड़ोसी है, अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर सूचनादाता के माता-पिता पर हमला करके



उन्हें चोटें पहुंचाने का आरोपी है। जब सूचनादाता और उसका पति उन्हें बचाने के लिए दौड़े, तो आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने सूचनादाता के पति को उनके घर के बाहर ले जाकर ईंट से प्रहार किया, जो उसकी गर्दन पर लगी और उसे 7.7.2025 को रात लगभग 09:15 बजे गंभीर रूप से घायल किया। सूचनादाता के पति की बाद में मृत्यु हो गई।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और इस प्रकरण में उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग तीन घंटे विलंब से दर्ज की गई है और उक्त विलंब की कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य एवं व्यापक आरोप हैं।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक की स्थिति भिन्न है क्योंकि वह अन्य अभियुक्त व्यक्ति का पड़ोसी है और सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ उसकी मित्रता के कारण ही उसे अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक पर कोई स्पष्ट कार्य आरोपित नहीं किया गया है, बल्कि किसी भी अभियुक्त व्यक्ति पर कोई स्पष्ट कार्य आरोपित नहीं किया गया है, अतः आवेदक जमानत का अधिकारी है।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक 9.7.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है।
9. "दोषसिद्ध होने तक निर्दोषिता की उपधारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत, जमानत को नियम के रूप में और कारावास को अपवाद के रूप में स्थापित करता है।
10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि वह किसी अपराध के करने का आरोपी है, जब तक कि उचित संदेह से परे दोष स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी के भी जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा



स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं छीना जा सकता, और वह प्रक्रिया न्यायपूर्ण एवं उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 SCC 51 में दोहराया है।

11. उपरोक्त विचार को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595 के प्रकरण में पुनः इस बात पर बल दिया है कि विधि के इस सुस्थापित सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। यह उचित समय है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है।"

12. विद्वान अ.शा.अधि./राज्य विधि अधिकारी कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने को उचित ठहराए।

13. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों, अभिलेख पर साक्ष्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य एवं व्यापक आरोप हैं और आवेदक सह-अभियुक्त आकाश का पड़ोसी है, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

14. आवेदक- **विजय**, जो उपर्युक्त प्रकरण अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाव में नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

15. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।



16. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

19 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

Translated Version. Not for Legal Use.